Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. XI, Issue No. XXI, Apr-2016, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XI, Issue No. XXI, April-2016, ISSN 2230-7540

भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं

Pardeep Kumar*

Research Scholar, Public Administration Department, Maharishi Dayanand University, Rohtak, Haryana

----------X----------

भारत गाँवों का देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 72.22 भाग गाँवों में रहता है। शहरों का आकर्षण और ग्राम्य जीवन की जटिलताएँ इस आबादी को पलायन के लिए बाध्य करती हैं। निरंतर गाँवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के अन्दर भी एक भारत तैयार हो रहा है। परन्तु वास्तविक भारत तो गरीब, पिछड़ा, दीन दुखी और गाँवों वाला भारत है जिसके अन्दर तैयार हो रहा एक नया भारत है जो शहरों के भोग विलास वाला रंगीनियों वाला परिदृश्य है जहाँ सुख–सुविधाएँ मुठ्ठीभर लोगों के हाथों में कैद होकर रह गईं हैं। लेकिन नगर सभ्यता का जन्म भी गाँवों की कोख से ही हुआ। इसलिए नगरों की शक्ति के केन्द्र गाँव ही है क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएँ गाँव ही पूर्ण करते है। 'मेरे सपनों का भारत' नामक ग्रंथ में गांधी जी ग्रामीण विकास की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि गाँवों की अनदेखी करना या उन्हें पतन की ओर जाने देना एक भारी भूल है। गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि यदि गाँव का नाश होता है तो भारत का नाश हो जाएगा उस स्थिति में भारत नहीं रहेगा। अतः पिछले दो दशक से केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस ओर ध्यान दिया है और ग्रामीण विकास की दिशा में कारगर उपाय उठाने की प्रेरित किया है जिसे सरकार ने अनेक सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

ग्रामीण विकास का अर्थ –

ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार से है इस आशय में यह एक समग्र और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें ग्रामीण लघु उद्योगा एवं दस्तकारी, सामाजिक आर्थिक सेवाएं और इन सबके ऊपर ग्रामीण क्षेत्र के मानव संसाधन है जिनका उद्देश्य ग्राम्य जीवन का समग्र विकास करना है।

ग्रामी विकास की योजनाओं को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं –

भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं

1. ग्रामीण आधारभूत ढ़ाचा विकास	2. ग्रामीण रोजगार योजनाएं	3. अन्य कार्यक्रम
1. भारत निर्माण कार्यक्रम	1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	कपार्ट
2. इंदिरा आवास योजना	2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	दीक्षा
3. ग्रामीण आवास योजना	3. काम के बदले अनाज योजना	पुरा
4. ग्रामीण स्वच्छता अभियान	4. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	
5. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	

ग्रामीण आधारभूत ढाँचा विकास –

1. भारत निर्माण कार्यक्रम –

सन् 2005 में गाँवों में सिंचाई, सड़कों, आवास, जलापूर्ति, विधुतीकरण तथा दूरसंचार संबंधी सुविधाएँ बढ़ाकर छः क्षेत्रों में ग्रामीण आधारभूत ढाँचे का पुर्ननिर्माण करना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था।

2. इंदिरा आवास योजना –

1985 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के एसी आवासहीन् निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना एक अन्तयंत लाभकारी योजना है जिसने ग्रामीण निर्धन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई हैं।

3. ग्रामीण आवास योजना –

गाँवों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में गई, 1985 में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) शुरू की गई पहली जनवरी, 1996 से यह एक स्वतन्त्र योजना के रूप में लागू है। इस योजना का लक्ष्य अत्यन्त गरीब अनुसूचित जाति। जनजातियों मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों को आवासीय इकाईयों के निर्माण में मदद देना है।

4. ग्रामीण स्वच्छता अभियान –

ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को बल प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली में सुधार और महिलाओं की निजता एवं गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम वर्ष 1986 में प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 1993 में स्वच्छता की अवधारणा में विस्तार किया गया।

5. राष्ट्रीय बायागैस कार्यक्रम –

यह कार्यक्रम 1982 में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए खाना पकाने और रोशनी हेतु गैस की व्यवस्था सहित महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा हेतु बायागैस सयंत्र लगाने हेतु आर्थिक अनुदान एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना था।

www.ignited.in

ग्रामीण रोजगार योजनाएं –

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी –

इस योजना का प्रारम्भ 2006 में हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपतियों का सृजन करना। इस योजना को प्रारम्भ में 18 जिलों में और 2008 में सम्पूर्ण भारत शामिल है।

2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना –

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अर्न्तगत ग्रामीण निर्धन परिवार एवं अकुशल श्रमिक, अत्यधिक गरीब महिलाएं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति एवं जोखिमपूर्ण से निकाले गये बच्चों के माता–पिता को रोजगारमूलक कार्यों में प्राथमिकता देने के साथ–साथ महिलाओं के लिए 30 X रोजगार के अवसर सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान है।

3. काम के बदले अनाज योजना –

राष्ट्री काम के बदले अनाज कार्यक्रम नवम्बर 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा चुने हुए देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एज. जी.आर.वाई.) के अर्न्तगत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है।

4. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना –

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.सी.एस.वाई.) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में पहली अप्रैल 1999 को शुरू की गई योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे लागों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली पसिंपत्तियों की व्यवस्था के जरिये उन्हें स्वंय सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है।

5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त 1996 को की गई।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन योजनाएं चलाई जा रही हैं –

(क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बेसहारा लोगों को 125 रूपये प्रतिमाह की पेंशन देने का प्रावधान है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना – इस योजना के अन्तर्गत परिवार के लिए रोजी कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की आयु 18 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु पर 5000 रू. तथा अकाल मृत्यु पर 10000 रू. तक की सहायता राशि का प्रावधान है।

(ग) राष्ट्री मातृत्व लाभ योजना – इस योजना के अन्तर्गत गरीब महिलाओं को प्रथम दो प्रसवों में 300 रू. प्रति प्रसव के हिसाब से मातृत्व लाभ देने का प्रावधान है।

अन्य कार्यक्रम –

1. (लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्यौगिकी विकास परिषद) (सी.ए.पी.ए.आर.टी.)

इसका गठन 1 सितम्बर 1986 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्तन में स्वैच्छिक कार्य का प्रोत्साहन देना और उसमें मदद करना है। इसके द्वारा जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाय), समन्वित ग्रामीण विकास (आई.आर.डी.पी.), गरीबी उन्पूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों के संगठन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास आदि से संबंधित विभिन्न संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) –

ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढ़ंग से जीवन यापन के लिए आजीविका अवसरों, आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं की कमी को दूर कर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का एक मिशन गणतन्त्र दिवस 2003 के अवसर पर शुरू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण शहरी अतंर को दूर करना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ मुहैया कराकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये गाँवों का विकास करना।

3. ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षिण कार्यक्रम (टी.आर.वाय.एस.ई.एम.) –

यह कार्यक्रम 1979 में आरम्भ किया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष आयु के ग्रामीण युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, नेहरू युवक केन्द्र आदि प्रशिक्षण संस्थायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (डी.आर.डी.ए.) –

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सशक्तता प्रदान करने और उन्हें अपने काम काज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को केनद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.) प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र और राज्य 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं।

5. कृषि सेवा केन्द्र –

यह कार्यक्रम 1971 में आरम्भ किया गया था इसके अर्न्तगत बेरोजगार कृषि–स्नातकों व डिप्लोमा करने वाले युवकों को प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता के माध्यम से कृषि सेवा केन्द्र शुरू किया।

निष्कर्ष –

अतः हम कह सकतें हैं कि यदि वास्तविक रूप से ग्रामीण विकास चाहते हैं तो ग्रामीण समाज का सामाजिक उन्नयन अपरिहार्य है। ग्रामीण विकास के लिए वित पूर्ति के साथ–साथ आधारभूत

www.ignited.in

संसाधनों का विकास भी आवश्यक है इसलिए ग्रामीण विकास के लिए शासन और प्रशासन द्वारा एक साथ मिलकर ईमानदारी से कार्य किये बिना इसके लक्ष्य 'ग्रामीण विकास' की प्राप्ति असम्भ है।

संदर्भ (REFERENCES) –

http://rural.nic.in/sites/programmes-scheme.asp

http://rural.nic.in/sites/programmes-schemes-rural-housing.asp

तिवारी संजय, कोष्टा शैलप्रभा–2009, ग्रामीण विकास आमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली

ब्यास शैलेन्द्र, शर्मा एस.डी. 2013, समाज कल्याण एवं विधान, निखिल पब्लिकेशन, आगरा

Panday, PAN, ग्रामीण विकास एवं संरचात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2006

Dubey S.N, 'आर्थिक विकास एवं नियोजन' सुमित पब्लिकेशन, जबलपुर, 1998

Corresponding Author

Pardeep Kumar*

Research Scholar, Public Administration Department, Maharishi Dayanand University, Rohtak, Haryana

E-Mail – pradeepmdu789@gmail.com